आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

परमिट फार्म भाग ए व बी

(12 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले भवनों के लिए)

परमिट संख्या 1409/B.F.T./3/03-04 दिनांक 11/11/2011

सेवा में,

श्री/श्रीमती सुधा गुप्ता, श्रीमती मीनू गुप्ता, श्रीमती पिंकू गुप्ता,

तथा श्री राजेश कुमार, श्री राधा किशन

निवास 2/11 विभव नगर आगरा

महोदय/महोदया,

भवन/भूखण्ड सं. 61/1, 61/2 स्थित कलाल खेड़िया आगरा में प्रस्तावित निर्माण कार्य जिन्हें संलग्न नक्शे में दर्शाया गया है निष्पादित किये जाने की अनुज्ञा निम्नाँकित अनुबन्धों के अधीन की जाती है:–

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भूगृह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्राप्त होता है और न ही समाप्त होता है और न यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विधित कार्यवाही हेतु निरयोग्य अथवा विवधित करती है एवंम् इसमें स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भी भांति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।

3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहें सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में हो अथवा आँकडे बालकनी छज्जा कारनिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप रूप में हो, चाहे भले ही ऐसे प्रक्षेप भूल से इस नक्शों में दर्शा दिये गये हों, की अनुज्ञा अमान्य होगी।

4. ऐसे निर्माण कार्यो के लिये नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन प्रथक स्वीकृति अनिवार्य है। अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।

5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि वे सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करें अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करें जहां पर विद्युत तार हों, जब तक इस प्रकार लगे तार उ0 प्र0 विद्युत परिषद द्वारा न हटा दिये जायें।

6. अनुज्ञापत्र के साथ संलग्न 1 एवं 2 के प्रावधानों का पालन करना होगा।

7. भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।

संलग्नः स्वीकृति मानचित्र

भवदीय,

11/11/11

नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा
आगरा विकास प्राधिकरण

संख्या 1409/B.F.T./3/03-04 तद् दिनांक

प्रतिलिपि– 1. कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, आगरा को सूचनार्थ।
2. सम्पत्ति अधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा दिये गये अनापत्ति पत्र सं0.................दिनांक.....................के सन्दर्भ में फायर के प्राविधानों को सुनिश्चित करायें।
4. प्रर्वतन अनुभाग को सूचनार्थ।

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

Scanned by CamScanner

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

पत्रांक : 1409/बी.एफ.टी./03/03-04 दिनांक : 01-11-11

प्रेषक,

सहायक अभियन्ता (भवन),
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

श्री राधा किशन, श्री राजेश कुमार,
श्रीमती सुधा गुप्ता, श्रीमती मीनू गुप्ता व श्रीमती रीतू गुप्ता,
2/117, विभव नगर, आगरा।

विषयः खसरा सं0-61/1, 61/2 मौजा कलाल खेरिया, आगरा पर प्रस्तुत ग्रुप हाउस मानचित्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको सूचित किया जाता है कि उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दि. 19.09.11 के अन्तर्गत सन्दर्भित औपचारिकताओं की पूर्ति की दशा में आप द्वारा प्रस्तुत ग्रुप हाउस मानचित्र स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। अतः आप 15 दिन में निम्न औपचारिकताओं को पूर्ण कराते हुए वांछित धनराशि जमा करा दें :-

1. निरीक्षण शुल्क रू. 2,11,450.00
2. बाह्य विकास शुल्क रु. 27,57,082.00 (पूर्व में जमा धनराशि समायोजित करने के पश्चात शेष धनराशि)
3. सिटी डवलपमेन्ट शुल्क रू. 81,69,055.00

   अतः आवेदक को कुल धनराशि रू0 1,11,37,587.00 प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा।
4. नगर निगम, तहसील व प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की एन0ओ0सी0 प्रस्तुत करने के उपरान्त ही मानचित्र निर्गत किया जा सकेगा।
5. लैण्डफिल साइट तथा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर निर्धारित धनराशि जमा करानी होगी, जिसके लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. आवेदक को भवन सामग्री एवं मलवा अपनी भूखण्ड के अन्दर एकत्रित करना होगा, इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. भू-स्वामित्व सम्बन्धी वाद/विवाद उत्पन्न होने की दशा में दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा आवेदक को सभी विभागों की एन0ओ0सी0 की शर्तो का पालन करने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एवं आवश्यक वृक्षारोपण का प्राविधान स्थल पर करना होगा।
9. कूड़ादान हेतु मूवेबिल कन्टेनर की व्यवस्था करनी होगी।
10. शासन द्वारा भूकम्प रोधी निर्माण के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे :-
    - अ) पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में आर्कीटेक्ट, इन्जीनियर एवं आवेदक के स्पष्ट हस्ताक्षर, पता, प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
    - ब) प्रस्तावित भवन का स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं गणनायें देनी होंगी।
    - स) इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्रस्तावित निर्माण का पर्यवेक्षण अह इन्जीनियर से प्रस्तुत की गयी डिजाइन/ड्राइंग के अनुरूप करना होगा।

भवदीय

Scanned by CamScanner